न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 146/2019 (395/2018)

GCMS NO. : 2018/00075

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. महिपाल सुपुत्र मोतीलाल जाति जाट निवासी गांव सरमालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।		1. हेमा बालिग पुत्र दूदाजी जाति जाट निवासी गांव बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
		2. राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक तहसीलदार जैतारण।
		3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।

-:: निर्णय : **दिनॉकः 28/07/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि बमुजब जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 वाकै गांव बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में इस प्रकार है- खाता संख्या 926 खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 26-11 बीघा 4.2977 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 19-00 बीघा 3.0756 हैक्टर किस्म सेवज दोयम आई हुई है जिसे आगे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। आवेदन पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के सह-हिस्सेदार व खातेदार काश्तकार वाद व प्रतिवादी संख्या 01 चले आ रहे है व संयुक्त रूप से काबिज काश्त है व वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है व अभी तक वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य सीमांकन द्वारा विभाजन नहीं हुआ है व न ही विभाजन का प्रलेख राजस्व अभिलेखों में किया गया है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सो को लेकर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवाद होता रहता है अतएव वादी [illegible] हिस्से की आराजीयात का विभाजन सीमाकंन द्वारा करवाकर अलग करना चाहता है जिससे की वह अपने हिस्से में आई आराजी की अपनी मनमर्जी अनुसार [illegible] कर सके [illegible] हेतु वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 25.05.2018 को निवेदन किया कि वे तहसील जैतारण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

चल कर आपसी सहमती से विभाजन करवाले किन्तु वे तैयार नही हुऐ व स्पष्ट इन्कार हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी की वे अन्य व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी अन्तरित करके रहेगें व विभाजन नही करवायेगा तब वादी ने अपने अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्दजी गादिया के मार्फत रजिस्टर्ड डाक नोटिस दिनांक 02.06.2018 प्रतिवादी संख्या 01 को प्रेषित कर सूचित किया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात सामलात में नहीं रखना चाहता है व आपसी सहमती से तहसीलदार साहब जैतारण के समक्ष चल कर विभाजन करवा लेवे किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने विभाजन न करवाकर लिखित में जवाब नोटिस प्रेषित कर विभाजन करवाने से ही इन्कार कर दिया जिसका जवाब उल जवाब भिजवा दिया अतएव मौजुदा वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रतिवादी संख्या 01 की नीयत खराब है एवं वह वादी को उसके कब्जे काश्त की 1/2 हिस्से की भूमि में काश्त नहीं करने देता है व सदैव लडाई झगडा करने पर आमादा फिसाद रहता है व प्रतिवादी संख्या 01 उक्त अविभाजित आराजी को अन्य स्टेन्जर व्यक्ति को बेचान कर कब्जा सम्भलाना चाहते है व यदि स्ट्रेन्जर व्यक्ति ने क्रय कर ली तो भौतिक आधिपत्य को लेकर विवाद बढ़ जायेगें व मौके पर भी शान्ति भंग होने की सम्भावना बढ जायेगीं व कानूनन भी, जब तक वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन नही हो जाये, तब तक कोई भी सहखातेदार काश्तकार सहखातेदारी की आराजीयात को अन्तरित नही कर सकता है व न ही स्ट्रेन्जर व्यक्ति को कब्जे में ला सकता है। वादी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तातस्फीया वाद जारी की जाकर उसे पाबन्द किया जाय कि प्रतिवादी संख्या 01 स्वंय उसके परिवारजन रिश्तेदार, मुख्तार आदि कोई भी वादी के 1/2 हिस्से की आराजी में वादी द्वारा कराये जा रहे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे व न ही वादी को जबरन बेदखल करके उसके कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी में जबरन काश्त करे व जब तक वादग्रस्त आराजी का सीमाकंन द्वारा विभाजन न हो जाय, तब तक वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी हक हिस्से को अन्तरण न करें व न ही करावे व न ही किसी अन्य स्ट्रेन्जर व्यक्ति को कब्जा में लाये व प्रतिवादी संख्या 02 को पाबन्द किया जाय कि जब तक विभाजन न हो जाये तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम नामान्तकरण न करे व प्रतिवादी संख्या 03 को पाबन्द किया जाय कि यदि प्रतिवादी संख्या 01 अथवा उसका मुख्तार अथवा कोई भी व्यक्ति वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अन्तरण का दस्तावेज पेश करे तो उसका पंजीयन न करे। उपरोक्त कारणों की वजह से वादी प्रार्थी ने आज माननीय न्यायालय में एक वाद वास्ते विभाजन, धोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दायर किया है जो कि ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है एवं जिसमें वादी प्रार्थी को सफलता मिलने की पुरी–पुरी आशा है व वाद काबिले डिगरी है। उपरोक्त लिखित तथ्यों से वादी प्रार्थी का स्पष्ट प्रथम दृष्टया केस है एवं सुविधा का सन्तुलन भी वादी प्रार्थी के पक्ष में है। य[illegible] प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ता[illegible] गई तो अप्रार्थी संख्या 01 जबरन कृषि भूमि पर जबर[illegible] काश्त करेगा व किसी को और अन्तरण कर देगें जिससे प्रार्थी को [illegible] असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

किसी भी प्रकार से रूपयो में न हो सकेगी व मौके पर भी कब्जे को लेकर विवाद होगा व शान्तिभंग होने की सम्भावना बढ़ जायेगी। अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वादी–प्रार्थी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जाकर उन्हें पाबन्द किया जाय कि प्रतिवादी संख्या परिवारजन, रिश्तेदार, मुख्तार आदि कोई भी वादी के 1/2 हिस्से की आराजी में वादी द्वारा कराये जा रहे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे व न ही वादी को जबरन बेदखल करके उसके कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी में जबरन वादग्रस्त आराजी का सीमाकंन द्वारा विभाजन न हो जाये तब तक वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी हक हिस्से को अन्तरण न करे व न ही करावे व न ही किसी अन्य स्ट्रेन्जर व्यक्ति को कब्जा में लाये व प्रतिवादी संख्या 02 को पाबन्द किया जाय कि जब तक विभाजन न हो जाये तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम नामान्तकरण न करे व प्रतिवादी संख्या 03 को पाबन्द किया जाय कि यदि प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी बाबत् कोई अंन्तरण का दस्तावेज पेश करे तो उसका पंजीयन न करे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। वकील गैरसायल संख्या 01 के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। गैरसायल संख्या 01 को बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू–अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम बलाडा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त अविभाजित सह–खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी द्वारा वाद बाबत् बंट्वाडा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 53,188,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह–खातेदार का सह–खातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। लिहाजा यह बिन्दु [illegible] के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की संयुक्त भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

में प्रत्येक सह–अभिधारी का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। साथ ही एक खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें कृषि भूमि से संबंधित अपने हक–अधिकार के उपयोग/उपभोग में कठिनाई उत्पन्न होगी। जिससे निश्चित ही इन्हें असुविधा कारित होगी। फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण, जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण, जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested